12270 रूपये अर्थदण्ड वसूला गीला एवं सूखा कचरा अलग–अलग नहीं देने वालो से

भिलाईनगर। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा गीला एवं सूखा कचरा अलग–अलग दिये जाने निरंतर अपील की जा रही है। इसके जागरूकता हेतु स्व सहायता समूह की महिलाओ द्वारा डोर–टू–डोर जाकर जागरूक किया जा रहा है। गली–गली, मोहल्ले–मोहल्ले मे वर्षो से मुनादी पर भी कराई जा रही है। प्रत्येक परिवार व दुकान को नगर निगम भिलाई द्वारा गीला कचरे के लिए हरा डस्ट बिन एवं सूखे कचरे के लिए नीला डस्ट बिन दो बार वितरित किया गया। कई स्तरो से समझाइस भी दी गई, लेकिन सामान्यतः लोगो के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होने के कारण नगर निगम भिलाई द्वारा अब अर्थदण्ड वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। विगत 2 माह से स्व सहायता समूह की बहनो द्वारा घर–घर जाकर परिवार की महिलाओ से मिलकर उन्हे समझाइस भी दी जाती रही है। फिर भी एक ही डब्बे मे डालकर कचरा सफाई मित्र को देते है। घरो व दुकानो में एक ही डब्बे मे दोनो प्रकार के कचरे को डालकर रखते है कभी–कभी तो सामने के नाली में भी फेंक देते है। जो स्वच्छता के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। इसी कड़ी में नेहरू नगर जोन 01 के 22 मकान एवं दुकानो से 2980 रूपये, जोन 02 के 38 मकान एवं दुकानो से 7630 रूपये, जोन 03 के 33 मकान एवं दुकान से 900 रूपये, जोन 04 से 38 मकान एवं दुकान से 760 रूपया कुल 131 मकान से 12270 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने की कार्यवाही की गई। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली को निर्देशित किया है कि आदतन जो परिवार या दुकानदार निरंतर एक ही डब्बे में कचरा डालकर देते हुए या नाली में फेकते हुए पाये जाते है, उनसे अर्थदण्ड वसूला जाये। पहले 50 रूपये से शुरू करे नहीं सुधरे तो बढ़ाते जावे। सब तरह के समझाइस दिये जाने के बाद भी नहीं मानने वालो से नगर निगम भिलाई के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अर्थदण्ड वसूला जा रहा है। महापौर नीरज पाल ने सभी नागरिको से अनुरोध किया है कि नगर निगम भिलाई के संसाधन सीमित है। शहर के सफाई में सबका हाथ और साथ होना चाहिए। तभी हमारा भिलाई स्वच्छता सर्वेक्षण में अग्रणी बन पायेगा। कचरा सब लोग देते है बस आदत सुधार लें। गीले एवं सूखे कचरे को अलग–अलग डब्बे में डालकर ही देवें।